प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवीर पुत्र श्री गरीबा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवीर पुत्र श्री गरीबा सिंह, जो नंगला, थाना-मण्डावर जनपद-बिजनौर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 14.12.2004 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए राहुल नामक 02 वर्ष 04 माह उम्र के लड़के का अपहरण किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-383/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 27.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.11.2008 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2021 तक 16 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2021 द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा बन्दी की आयु कम होने, बन्दी का स्वास्थ्य ठीक है तथा किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होने, बन्दी में कोई स्थाई अशक्तता व विकलांगता नहीं होने, बन्दी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बहार आने पर पुन: अपराध में सलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.12.2004 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए राहुल नामक 02 वर्ष 04 माह उम्र के लड़के का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बलवीर पुत्र श्री गरीबा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवीर (बन्दी संख्या-43647) पुत्र श्री गरीबा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-146/2022/492(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-146/2022/492/22-2-2022-17(499)/2022

दिनांक 14 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवीर पुत्र श्री गरीबा सिंह, जो नंगला, थाना-मण्डावर जनपद-बिजनौर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 14.12.2004 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए राहुल नामक 02 वर्ष 04 माह उम्र के लड़के का अपहरण किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-383/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 27.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.11.2008 द्वारा बन्दी अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2021 तक 16 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2021 द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा बन्दी की आयु कम होने, बन्दी का स्वास्थ्य ठीक है तथा किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होने, बन्दी में कोई स्थाई अशक्तता व विकलांगता नहीं होने, बन्दी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बहार आने पर पुन: अपराध में सलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.12.2004 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए राहुल नामक 02 वर्ष 04 माह उम्र के लड़के का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बलवीर पुत्र श्री गरीबा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।